



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024

आश्विन 4, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
श्रम अनुभाग-3

संख्या 1866/36-03-2024-1844430  
लखनऊ, 26 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

प०आ०-257

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, लोकहित में "सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं (आई0टी0ई0एस0) से सम्बन्धित अधिष्ठानों" को राज्य में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 और 7 के लागू होने से, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से दो वर्ष के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन छूट प्रदान करते हैं, अर्थात् :-

1-कोई भी नियोजक किसी कर्मचारी को किसी भी दिन निम्नलिखित से अधिक समय तक काम करने की अपेक्षा नहीं करेगा या अनुमति नहीं देगा,-

- (1) तरुण होने की दशा में छह घंटे (आयु 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच); और
- (2) किसी अन्य कर्मचारी के मामले में बारह घंटे विश्राम अंतराल सहित।

2-किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान में काम के घंटों की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से अनधिक काम करने के पश्चात् कम से कम आधे घंटे का विश्राम मिले और किसी कर्मचारी के काम के समय अवधि और विश्राम के अंतरकालों का कुल विस्तार एक दिन में बारह घंटों से अधिक न हो।

3-यदि कोई कर्मचारी एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है, तो उस सप्ताह में 48 घंटे से अधिक का काम अतिकाल कहा जाएगा और वह अतिकाल मजदूरी का हकदार होगा।

4-एक कर्मचारी जिसने एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम किया है, उसको अपने नियोजक द्वारा प्रत्येक अतिकालिक काम के लिए साधारण दर की दुगुनी दर से मजदूरी दी जाएगी (जहां साधारण दर का तात्पर्य आधार भूत मजदूरी तथा ऐसे भत्ते से है जिसमें कर्मचारियों को अनाज तथा अन्य पदार्थों की रियायती दर पर बिक्री के माध्यम से होने वाले लाभ के बराबर नकदी सम्मिलित है, जो कर्मचारी तत्समय पाने का हकदार है, किन्तु इसमें बोनस सम्मिलित नहीं है।

5-किसी भी तिमाही में अतिकालिक काम के कुल घंटों की संख्या 125 घंटे से अधिक नहीं होगी। ("तिमाही" का तात्पर्य पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई या पहली अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली निरन्तर तीन मास की अवधि से है।)

6-प्रत्येक कर्मचारी को एक साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा।

7-यदि कोई कर्मचारी पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 9 (झ) और उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 के नियम 5 के अधीन घोषित सार्वजनिक अवकाश पर काम करता है, तो ऐसे कार्य के बदले उसे प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।

8-रात की पाली के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए नियोजक द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की जाएगी।

आज्ञा से,  
अनिल कुमार,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1866/XXXVI-03-2024-1844430, dated September 26, 2024 :

No. 1866/XXXVI-03-2024-1844430

*Dated Lucknow, September 26, 2024*

IN exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhistan Adhinyam, 1962 (U.P. Act no. 26 of 1962) the Governor, in public interest, is please to exempt Information technology and Information technology enabled services (ITES) related establishments" in the State from the applicability of the Sections 6 and 7 of the aforesaid Act for two years, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, subjects to the following conditions, namely :-

1. No Employer shall require or allow an employee to work on any day for more than,-
  - i. six hours in the case of a young person (Age between 14 years to 18 Years); and
  - ii. twelve hours in the case of any other employee (including rest interval);
2. The working hours in a shop or commercial establishment shall be so arranged that each employee gets an interval of not less than half an hour for rest after not more than five hours of continuous work, and the periods of work and intervals of rest of an employee do not spread over more than twelve hours in one day.
3. If any employee works for more than 48 hours in a week, then work in excess of 48 hours in that week will be called overtime and he shall be entitled for overtime wages.
4. An employee, who has worked in excess of 48 hours of work in a week shall be paid by his employer, wages at twice the ordinary rate, for every overtime work (where ordinary rates will means the basic wages plus such allowances, including the cash equivalent of the advantage accruing through the

concessional sale to employees of food grains and other articles, as the employee is for the time being entitled to, but does not include bonus).

5. The total number of hours of overtime work shall not exceed 125 hours in any quarter. ("Quarter" means a period of three consecutive months beginning on the 1<sup>st</sup> of January, 1<sup>st</sup> of April, 1<sup>st</sup> of July or the 1<sup>st</sup> of October.)

6. Every employee shall be given a weekly off.

7. If any employee works on public holiday, declared as public holiday under clause (b) of sub-section (1) of Section 8 and Section 9(i) of the aforesaid Act and rule 5 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Niyamavali, 1963 he shall be given a compensatory holiday in lieu of such work.

8. Adequate security and transport arrangements shall be made by the employer for women employees during night shifts.

By order,  
ANIL KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 276 राजपत्र-2024-(714)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा० श्रम-2024-(715)-100 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।